न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 244 / 2021 अपील / प्रतापगढ़ (GCMS 2021/260)
पंजीयन दिनांक– 19.07.2021
निर्णय दिनांक– 15.12.2021

1. श्री कन्हैयालाल पिता अमृतराम गुर्जर, निवासी बरवाड़ा गुर्जर, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री बी. एल. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या
19 / 2018 निर्णय दिनांक 26.03.2021

निर्णय

दिनांक 15.12.2021

अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 19 / 2018 निर्णय दिनांक 26.03.2021 के विरूद्ध दिनांक 02.07.2021 को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अपील अंदर मयाद माने जाने के प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की मौजा बरवाडा गुर्जर में खातेदारी की आराजी संख्या 499 रकबा 0.11 हैक्टेयर स्थित है, जिस पर अपीलांट अपने पिता के समय से काश्त/कृषि उपयोग करता चला आ रहा है। अपीलांट की आराजी नम्बर से बजानिब पश्चिम की ओर बिलानाम आराजी नम्बर 502 रकबा 0.05 हैक्टेयर लगी हुई है, जिस पर भी अपीलांट अपने पिता के समय से उक्त भूमि पर कृषि उपकरण, मवेशी खाद की रोडी तथा बाडू पत्थर पडे होकर उसका उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। रेस्पोडेंट ने ग्रामवासियों की गलत शिकायत पर अपीलांट के विरूद्ध धारा 91(6) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर प्रकरण संख्या 04/2018 निर्णय दिनांक 14.06.2018 से नाजायज कब्जे की कार्यवाही करते हुए बेदखली एवं लगान का 50 गुणा शास्ती का निर्णय पारित किया जाने पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के यहा प्रथम अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 19/2018 निर्णय दिनांक 26.03.2021 से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छोटीसादडी के निर्णय दिनांक 14.06.2018 को यथावत रखे जाने अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 26.03.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *" रिपोर्ट पटवार हल्का, सेमरथली दिनांक 31.05.2018 एवं भू. अ. नि. वृत दिनांक 04.06.2018 में वर्णित अनुसार कथनों अनुसार अपीलार्थी विवादित आराजी संख्या 502 रकबा 0.05 हैक्टेयर तथा देवरा भूमि आराजी संख्या 501 रकबा 0.09 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर अर्थात कुल किता 2 रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने का दोषी पाया जाना दर्शित रिकार्ड है। साथ ही अपीलार्थी के कथन की उसे सुनवाई एवं जवाब का अवसर नहीं दिया गया यह कथन*

की अपीलार्थी को जारी नोटिस धारा 91 दिनांक 05.06.2018 तथा तामील रिपोर्ट एवं निर्णय दिनांक आदेशिका 14.06.2018 पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर होना साबित करते है कि अपीलार्थी को समुचित अवसर प्राकृतिक न्याय एवं साम्यता के सिद्धांत पर उपलब्ध कराएं गये थे। प्रकरण में दर्शित विवाद्यकों एवं जांच रिपोर्ट भू. अ. नि. तथा पर्चा मौका अनुसार अतिक्रमी अपीलार्थी त्वरित बेदखली का पात्र रहा है जिसके चलते तहसीलदार, छोटीसादडी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 04/2018 अंतर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पारित निर्णय दिनांक 14.06.2018 किसी प्रकार से त्रुटिपुर्ण नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छोटीसादडी द्वारा निर्णित प्ररकण संख्या 04/2018 निर्णय दिनांक 14.06.2018 को यथावत रखा जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बी. एल. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 09.12.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अपीलांट के खातेदारी भूमि से लगी होकर 0.05 हैक्टेयर स्ट्रीप ऑफ लैण्ड राजकीय रकबा है जिसे कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 19 के तहत अपीलांट आवंटन नियमन को पात्र है तथा धारा 98 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार उक्त भूमि रकबा विविध कृषि कार्यो कृषि उपकरण रखने मवेशियों को बांधने, घास

फुस एकत्र करने, गोबर खाद्य स्थल बनाने के लिए दी जा सकती है। जबकि रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के विरूद्ध कठोरता का रूख अपनाते हुए सीधे बेदखली का आदेश दिनांक 14.06.2018 को जारी किया एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा उक्त आदेश को अपने निर्णय दिनांक 26.03.2021 से यथावत रखा जाने का आदेश पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.03.2021 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छोटीसादड़ी के निर्णय दिनांक 14.06.2018 एवं जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 26.03.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.03.2021 को किया गया था। उक्त निर्णय के सन्दर्भ में अपीलाण्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.07.2021 को प्रस्तुत की गयी। अपील में कलम संख्या 06 में वर्णित किया है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत न्यायालय का कार्य बंद होने से अपीलांट को आदेश की नकल दिनांक 17.06.2021 को प्राप्त होने से अपील अंदर मयाद प्रस्तुत है। वर्णित तथ्यों व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में अपील अंदर मयाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में अब हम गुणावगुण पर विचार करना उचित समझते हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट का उज्र यह है कि आराजी नम्बर 499 रकबा 0.11 हैक्टेयर पर उसके नाजायज कब्जे से तहसीलदार द्वारा उसके विरूद्ध बेदखली का आदेश 14.06.2018 एवं प्रथम अपील का

जिला कलक्टर द्वारा दिया गया आदेश 26.03.2021 विधिविरूद्ध है। उक्त आदेशों के विधिविरूद्ध होने के लिए उसके द्वारा जो प्रमुख उज्र उठाये गये हैं, उन पर हमारी विवेचना निम्नानुसार है –

''अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने हेतु समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जिस कारण वह अपना जवाब प्रस्तुत नही कर सका। ''

हमारे द्वारा तहसीलदार, छोटीसादड़ी की पत्रावली संख्या 04/2018 निर्णय दिनांक 14.06.2018 का अवलोकन किया तो यह पाया कि तहसीलदार के नोटिस पर दिनांक 05.06.2018 को अपीलाण्ट स्वयं उपस्थित हुआ तथा उसके द्वारा आदेशिका दिनांक 14.06.2018 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना साबित है कि अपीलांट को समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील जो जिला कलक्टर के यहां प्रस्तुत की गयी, उसमें भी यही तथ्य उपलब्ध थे, जिनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा अपील खारिज की गयी एवं तद्नुसार हम जिला कलक्टर के निर्णय में भी अपीलाण्ट के इस उज्र के सन्दर्भ में कोई तथ्यात्मक/विधिक बल नहीं पाते। अपीलांट द्वारा तहसीलदार के यहां कोई साक्ष्य प्रस्तुत होने का मौखिक/लिखित अभिकथन करना भी प्रमाणित नहीं है।

''अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि विवादग्रस्त आराजी नम्बर 502 रकबा 0.05 हैक्टेयर बिलानाम सरकारी अपीलांट की खातेदारी की आराजी नम्बर 499 से पश्चिमी ओर से लगी हुई थी और इस बिलानाम आराजी नम्बर 502 के पश्चिम में बिलानाम सरकारी रास्ता ग्राम बरवाडा गुर्जर से ग्राम बलियाखेडा जाने वाले मार्ग से लगाा हुआ है और उक्त बिलानाम सरकारी आराजी संख्या 502 पर अपीलांट और उसके पिता का पुराने समय से निरंतर

काबिज होकर उसका कृषि हेतु उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। ''

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो निर्णय पारित किया गया है, उससे ज्ञात आया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 499 रकबा 0.11 हैक्टेयर के पश्चात् दक्षिण दिशा में आराजी संख्या 503 विविध काश्तकारों की निजी खातेदारी भूमि है तथा पश्चिम दिशा में आराजी संख्या 500 अपीलांट के समानांतर उत्तर–दक्षिण तक निजी खातेदारी भूमि है तथा उसके पश्चात आराजी संख्या 501 रकबा 0.09 हैक्टेयर देवरा भूमि है तथा दक्षिण–पश्चिम में विवादित अतिक्रमित भूमि आराजी संख्या 502 रकबा 0.05 हैक्टेयर स्थित है जिससे साबित होता है कि विवादित भूमि आराजी संख्या 502 अपीलांट की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 499 की चतुर्थ सीमाओं के किसी भी भाग से लगी हुई नही है। उक्त आदेश में कोई विधिक अनियमितता हो, ऐसा तथ्य रेकर्ड पर नहीं है, तद्नुसार अपीलाण्ट के इस उज्र में कोई बल नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा कोई विधिक प्रावधानों को अभिव्यक्त नहीं किया गया है। अतएवं चारागाह पर अनाधिकृत कब्जे को प्रश्रय नहीं दिया जा सकता। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त प्रेक्षण के खंडन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, तद्नुसार अपीलांट स्ट्रीप ऑफ लेण्ड आवंटन की पत्रता नही रखता व नही उसने ऐसा कोई आवेदन किया हो ऐसी साक्ष्य उपलब्ध है।

''अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि अपीलांट की खातेदारी आराजी नम्बर 499 से पश्चिमी ओर सरकारी बिलानाम जमीन खसरा नम्बर 502 रकबा 0.05 हैक्टेयर एक छोटी पट्टी के रूप में कृषि जमीन है उसका निरंतर उपयोग करता चला आ रहा है। उक्त जमीन का नियमन का पात्र होते हुए ओर धारा 98 के तहत कृषक को अपनी कृषि जिंस व अन्य उपकरण डालने के लिये 500 वर्गमीटर

जमीन बाडे के रूप में प्रदान की जा सकती थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे बेदखल कर दिया गया। ''

पत्रावलियों के अवलोकन से हम यह पाते हैं कि रिपोर्ट पटवारी हल्का सेमरथली दिनांक 31.05.2018 एवं भू–अभिलेख निरीक्षक दिनांक 04.06.2018 में वर्णित कथनों अनुसार अपीलांट विवादित आराजी संख्या 502 रकबा 0.05 हैक्टेयर तथा देवरा भूमि आराजी संख्या 501 रकबा 0.09 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर अर्थात कुल किता 02 रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है तथा उक्त भूमि उसे नियमन की जावे इस बाबत भी अपीलांट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतएवं अपीलांट का उक्त उज्र भी मान्य नही है। पूर्वोक्त उज्र में भी इस बाबत विस्तृत व्याख्या की गई है।

''विवादग्रस्त आराजी संख्या 502 अपीलांट की कृषि आराजी से सटी हुई थी जिस कारण सन् 2017 के राजस्व सर्कुलर के आधार पर उक्त बिलानाम जमीन उसके नाम बाडे के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का उल्लेख किया गया है। ''

अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के अवलोकन से हम यह पाते हैं कि भूमि पर अपीलांट द्वारा अवैध/जबरन अतिक्रमण किया गया है तथा उक्त भूमि उसे नियमन की जावे इस बाबत भी अपीलांट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतएवं अपीलाण्ट का यह उज्र भी समाहित योग्य नहीं है। बाडा भूमि आवंटन हेतु पात्रता व आवेदन की साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है।

अपीलांट द्वारा अन्य न्यायिक नजीरें RRD 1969 पेज 539 प्रस्तुत की है जो मूलतः अनाधिकृत कब्जों की शर्तो की पुर्ति एवं नियमन करने से संबंधित है, जो इस प्रकरण के तथ्यो से साम्यता नहीं रखते है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के आलोक में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तहसीलदार छोटीसादड़ी द्वारा एवं प्रथम अपील में जिला कलक्टर द्वारा चारागाह भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण से बेदखल किये जाने/अपीलाण्ट की प्रथम अपील खारिज करने के निर्णय में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। किसी भी राजकीय भूमि पर बिना विधिक अधिकारों/आवेदन लम्बित नहीं होने व नियमन की पात्रता की साक्ष्य उपलब्ध नही होने से नाजायज कब्जे को प्रश्रय नह दिया जा सकता है। अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर